28/5/18 पत्रावली पेश। अपीलांट के वकील उप०।
रेस्पोन्डेन्ट के वकील उप०।
प्रार्थना पत्र द्वारा अपीलांट जरिये अभिभावक
अन्तर्गत O 6 R 17 CPC का जवाब नहीं
देकर सीधे ही बहस करना चाहते हैं
उभय पक्षों के अभिभाषकगण को O 6 R 17
CPC आवेदन पर सुना गया।
विद्वान वकील अपीलांट ने आवेदन में उल्लेखित
तथ्यों को दोहराते हुए सहवन से
गलती होने के कारण अपील के शीर्षक,
अपील के पेज नं. 4 एवं T.1 के पेज नं. 2
व प्रार्थना पत्र के साथ पेश शपथपत्र में
प्रताप के पिता का नाम हेमराज की
जगह तेजाराम लाल स्याही से संशोधित
करने हेतु प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का
निवेदन किया।
विद्वान वकील रेस्पोन्डेन्ट ने अपीलांट के प्रार्थना
पत्र का प्रतिरोध करते हुए जाहिर किया
कि प्रार्थना पत्र धारा 151 O 6 R 17 CPC के
तहत पोषणीय नहीं है। O 6 R 17 CPC
में केवल Pleadings में संशोधन किया
जा सकता है। अपीलांट के आवेदन में धारा 151
सपठित O 6 R 17 आवेदन में Pleadings में
संशोधन बाबत कोई निवेदन नहीं किया गया है
आगे उन्होंने जाहिर किया कि यह आवेदन
प्रताप पुत्र तेजाराम द्वारा पेश किया
गया है जिसके साथ पेश किए गए
शपथ पत्र में प्रताप ने अपने पिता का
नाम तेजाराम ही बताया है जिसकी पहचान
भी प्रताप पुत्र तेजाराम के रूप में हुई है

प्रताप – हेमराज 23/8

P.T.O

प्रताप पुत्र ~~[illegible]~~ का उल्लेख किया है
तथा दलील के साथ पेश T.1 में
प्रस्तुत शपथ पत्र में प्रताप पुत्र उर्फ
के रूप में सशपथ उल्लेख किया गया है
तथा प्रताप पुत्र उर्फ के रूप में ही
सशपथ कथन किए हैं तथा एडवोकेट
राजेश प्रजापति द्वारा हस्ताक्षर भी किये गए हैं
तथा वकालतनामा भी प्रताप पुत्र उर्फ द्वारा ही
शपथ पत्र में ओथ कमिश्नर के समक्ष
सशपथ कथनों को गलत मानने का
कोई आधार नही है। अतः प्रताप
पुत्र तेजाराम का शपथ सहित आवेदन 06R17CPC
को किसी भी स्थिति में पोषणीय
नही माना जा सकता है इसे सद्भाव
से हुई त्रुटि नही माना जा सकता है
शपथ आयुक्त/नोटरी पब्लिक द्वारा
शपथ पत्र का प्रमाणन व्यक्ति के व्यक्तिशः
उपस्थित होने एव पहचान के आधार
पर किया जाता है प्रकरण में अवलोकन
के आधार पर गंभीर अनियमितता कारित
होना पाया जाता है जिस पर 06R17
CPC के प्रावधानों को लागू नही किया
जा सकता है। न्यायालय के समक्ष
इस प्रकार के विरोधाभाषी दस्तावेज
पेश करना किसी भी दृष्टि से उचित
नही है इससे न्यायालय की प्रक्रिया
के दूषित होने की संभावना से
इनकार नही किया जा सकता है
अतः न्यायालय इसके डीफेंडेंट की
दलील के अनुसार उदार दृष्टिकोण
अपनाकर वांछित संशोधन की
अनुमति नही दे सकता है।

तथा प्रताप पुत्र दूरसाराम द्वारा ही श्री राजेश प्रतिया वकील अपीलांट को अभिभाषक नियुक्त किया है जैसा कि प्रस्तुत अभिभाषक पत्र से जाहिर है। अतः आवेदन पेश करने का अपीलांट प्रताप पुत्र ~~दूरसाराम~~ तेजाराम को कोई अधिकार नहीं है तथा शपथ पत्र जो पेश किया है, उसे गलत नहीं माना जा सकता है क्योंकि प्रताप पुत्र तेजा ने नोटरी के समक्ष सशपथ कथन किए हैं जिसकी पहचान भी अभिभाषक द्वारा की गई है। यह गंभीर अनियमितता है जिसे O6 R17 CPC आवेदन के द्वारा दुरुस्त / संशोधित नहीं किया जा सकता है। आगे उन्होंने तर्क किया कि वकील अपीलांट के पास अपील विड्रा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। अतः आवेदन अपीलांट खारिज कर अपील को खारिज किया जावे।

रिबटल पर वकील अपीलांट ने कथन किया कि उनके द्वारा ऐसा कोई Melafide Intention से नहीं किया है। अतः सहवन से हुई त्रुटि को संशोधित करने की अनुमति कोर्ट द्वारा न्यायहित में दी जावे।

आवेदन पत्र का अवलोकन किया। बहस उभय पक्ष पर गौर किया। रिकार्ड अवलोकन से यह जाहिर है कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रताप पुत्र तेजाराम वादी के रूप में उपस्थित हुए थे तथा शपथ पत्र में भी प्रताप पुत्र तेजाराम के रूप में ही शपथ आयुक्त सशपथ समक्ष कथन किया गया है।

दिनांक	आज्ञा पत्र	
	महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है ताकि समुचित न्यायनिर्णयन किया जा सके। इन तथ्यों के परिप्रेक्ष्य मे आवेदन अन्तर्गत 06 R17 सपठित 151 को, प्रावधानिक के अभाव में खारिज किया जाता है तथा इन्हीं तथ्यों के अवलोकन पर हस्तगत अपील भी त्रुटिपूर्ण होने के कारण खारिज की जाती है। तथा अपीलांट नवीन अपील (Fresh Appeal) पेश करने हेतु स्वतंत्र रहेगा। पत्रावली नम्बर से कम हो। निर्णय आज दिनांक 28/3/18 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।	
	28/3/18 भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, सीकर	